बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–सं0सं0–रे0 / यो0 स्वी0–18–17 1403 पटना, दिनांक– 28-03-18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में विलोपित अंडी रेशम फार्म, महमदपुर, गोकुल, मुजफ्फरपुर एवं मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदपुर, सीवान में मलवरी उत्पादन हेतु रू0 79,55,000/– (उनासी लाख पचपन हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में विलोपित अंडी रेशम फार्म, महमदपुर, गोकुल, मुजफ्फरपुर एवं मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदपुर, सीवान में मलवरी उत्पादन हेतु रू0 79,55,000/– (उनासी लाख पचपन हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 79,55,000/– (उनासी लाख पचपन हजार) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष–0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड– 23-2851001070101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष –0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध उपलब्ध है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त निकासी BTC Form 42 पर संलग्न विवरणी में अंकित पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार, से की जाएगी। स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन अपने–अपने फार्म में सहायक उद्योग निदेशक (रे0), मुजफ्फरपुर एवं परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदपुर, सीवान द्वारा जीविका के माध्यम से किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका द्वारा फार्म के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह का चयन इस फार्म में मलवरी की खेती/कीटपालन करने के लिए किया जाएगा। इस समूह में दस सदस्य होंगे। उन्हें जीविका द्वारा पोषित किया जाएगा। फार्म में उच्च उत्पादकता वाली मलवरी किस्म (S1,S1635) की खेती 3'X3' पैटर्न में की जाएगी। सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए बोरिंग एवं पंपसेट उपलबध कराया जाएगा। कीटपालन करने के लिए कीटपालन उपस्कर, कीटपालन गृह एवं विसंक्रामक व अन्य सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पादित कोए को सुखाने के लिए हॉट एयर ड्रायर का भी क्रय किया जाएगा। खाद तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था की जाएगी। फार्म को कंटीले तार से घेरने एवं कीटपालन गृह के विद्युतीकरण की भी व्यवस्था की जाएगी। कार्यालय के लिए अतिआवश्यक उपस्कर भी क्रय किये जाएंगे। जीविका के Procurement Guidelines के अनुसार सामग्रियों का क्रय करेगा।

5. कार्यान्वयन पदाधिकारी, जीविका स्वयं सहायता समूह एवं सदस्यों के साथ एक साल का एकरारनामा करेगी। कार्य संतोषजनक रहने पर अगले साल के लिए इसका Renual किया जाएगा। ककून उत्पादन नहीं होने की स्थिति में स्वयं सहायता समूह एवं सदस्य का मलवरी पौधो/जमीन पर से अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगी। पूरी विकसित व्यवस्था के साथ फार्म पर कार्य करने के लिए अन्य व्यवस्था करने के लिए जीविका/उद्योग विभाग स्वतंत्र होगा। कार्य चालू रहने की अवस्था में समूह को रू0 1000/– प्रतिवर्ष सरकारी कोष में जमा करना होगा।

M/Rajyadesh

6.. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या– रे0/यो0 स्वी0–18–17 के पृष्ठ 16/टि0 पर दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रंक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18–17 1403 *पटना, दिनांक–* 28-03-18

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18–17 1403 *पटना, दिनांक–* 28-03-18

प्रतिलिपि– सहायक उद्योग निदेशक (रे0), मुजफ्फरपुर/ परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदपुर, सीवान/जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, मुजफ्फरपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18–17 1403 *पटना, दिनांक–* 28-03-18

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0/यो0 स्वी0–18–17 1403 *पटना, दिनांक–* 28-03-18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सीवान/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/सीवान/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

व्यय विवरणी

क्र0सं0	कार्यक्रम	इकाई लागत (रू0 में)	विलोपित अंडी रेशम फार्म, महमदपुर, गोकुल, मुजफ्फरपुर कार्यान्वयन पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी – सहायक उद्योग निदेशक (रे0), मुजफ्फरपुर कोषागार– मुजफ्फरपुर		मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदपुर, सीवान कार्यान्वयन पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी – परियोजना पदाधिकारी कोषागार– सीवान		कुल योग
			भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत राशि	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत राशि	
1	मलवरी वृक्षारोपण (उच्च उत्पादकता वाली मलवरी किस्म) (एकड़)	50000	5	250000	4	200000	**450000**
2	सिंचाई व्यवस्था (बोर वेल सहित)	100000	1	100000	1	100000	**200000**
3	कीटपाल गृह का निर्माण–मोडल –1 (1000 sq ft.)	400000	2	800000			**800000**
4	कीटपालन उपस्कर (Improved Mountages के साथ)	75000	5	375000	4	300000	**675000**
5	Prophylactic measures (Quaility disinfictant एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य सहायता) प्रति कृषक दो साल के लिए	5000	20	100000	20	100000	**200000**
6	Hot air dryer – 50 Kg क्षमता (Multi fuel Unit)	69000	2	138000	2	138000	**276000**
7	कृषकों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण	10000	10	100000	10	100000	**200000**
8	वर्मी कम्पोस्ट	25000	2	50000	2	50000	**100000**
9	कटीली तार का घेरा, विद्युतीकरण, उपस्कर		Lumsum	2142000	Lumsum	2912000	**5054000**
	कुल			**4055000**		**3900000**	**7955000**

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

M/San. Report 2017 S7

पंग क्रय करेगा। ... जाएगा। जीविका के Procu... जाएगा। कार्यालय के लिए